आदेश पत्रक

न्यायालय : उप जिलाधिकारी

मंडल : प्रयागराज, जनपद : प्रतापगढ़, तहसील : कुंडा

वाद संख्या :- 1487/2023

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :- T2022078101453489

श्री यशवंत बहादुर सिंह बनाम सरकार

अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता -2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद श्री यशवंत बहादुर सिंह पुत्र स्व० श्री बद्री नारायण सिंह निवासी ग्राम- टेकीपट्टी, परगना-बिहार, व तहसील-कुण्डा, प्रतापगढ़ के प्रार्थना पत्र जो आर०सी० प्रपत्र-25 पर प्रस्तुत किया गया है, के आधार पर 80(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि ग्राम-पुवासी, परगना-बिहार, व तहसील-कुण्डा प्रतापगढ़ की वर्तमान खतौनी खाता संख्या-00744, गाटा संख्या-1390प(मि), 0.606 हे० पर आवेदक द्वारा मौके पर शैक्षणिक भवन व बाउंड्री वाल का निर्माण कराया गया है, और उस पर कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। तदप्रस्त भूमि को कृषि कार्य से भिन्न शैक्षणिक/ व्यावसायिक घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण की जांच तहसीलदार, कुंडा से कराई गई। लेखपाल की निर्धारित प्रारूप पर मय नजरी नक्शा, स्थल की फोटो सहित आख्या दिनांक 21/08/2022 राजस्व निरीक्षक की आख्या 23/08/2022 एवं तहसीलदार कुंडा दिनांक 25/08/2022 संलग्न पत्रावली है, जिसमें कहा गया है कि भूमि स्थित ग्राम- पुवासी, परगना-बिहार, तहसील-कुंडा, प्रतापगढ़ की वर्तमान खतौनी खाता संख्या 00744 की गाटा संख्या 1390प(मि), 0.65080 में आवेदक द्वारा मौके पर शैक्षणिक भवन व बाउंड्री वाल का निर्माण कराया गया है तथा उस पर कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। तहसीलदार कुंडा की आख्या से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि को शैक्षणिक/व्यावसायिक घोषित किए जाने से सार्वजनिक न्यूसेंस होने की संभावना नहीं है। यह सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है तथा प्रश्नगत भूमि हाईवे/किसी परियोजना से प्रभावित नहीं है। अभिलेखों तथा तहसीलदार की आख्या से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि में ग्रामसभा की सामान्य अथवा सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है। धारा-77 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 से आच्छादित नहीं है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार 2% होता है। प्रश्नगत भूमि का शैक्षणिक/व्यावसायिक होने के दृष्टिगत का कुल 2% भुगतान अतिरिक्त चालान राजकीय कोषागार में जमा किया गया है जिसे न्यायालय के रीडर राजस्व लिपिक द्वारा सत्यापित किया गया है और संलग्न पत्रावली है।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट हुआ कि ग्राम-पुवासी, तहसील-कुंडा, जनपद- प्रतापगढ़ की वर्तमान खतौनी खाता संख्या-00744 की गाटा संख्या1390प(मि), 0.55030पर आवेदक द्वारा मौके पर शैक्षणिक भवन व बाउंड्री वाल का निर्माण कराया गया है। शैक्षणिक/व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाना है एवं कृषि कार्य नहीं हो रहा है तथा इस उपधारा के अधीन घोषणा प्राप्त होने पर प्रस्तावित गतिविधियां अथवा परियोजना के लिए ऋण व अन्य आवश्यक अनुज्ञाएं अनापत्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा।

आदेश

अतः श्री यशवंत बहादुर सिंह पुत्र स्व० बद्री नारायण सिंह निवासी ग्राम-टेकीपट्टी, परगना-बिहार, तहसील- कुंडा जनपद-प्रतापगढ़ की भूमि स्थित ग्राम पुवासी, परगना-बिहार व तहसील-कुंडा, प्रतापगढ़ की वर्तमान खतौनी खाता संख्या-00744 की गाटा संख्या-1390प(मि), 0.85080 भूमि के संबंध में वादी का वाद स्वीकार करते हुए धारा 80(1) के अंतर्गत भूराजस्व से मुक्त करते हुए शैक्षणिक/व्यावसायिक प्रख्यापित किया जाता है। लेखपाल की स्थलीय सत्यापन दिनांक 21/08/2022 राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित आख्या दिनांक 23/08/2022 तहसीलदार कुंडा की आख्या दिनांक 25/08/2022 के आदेश का अंग होगा। पत्रावली स्थापित अभिलेखों, आख्या तथा शपथ पत्रों के असत्य/त्रुटिपूर्ण पाए जाने की स्थिति में यह आदेश उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-82 के तहत स्वतः निरस्त समझा जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी विपरीत अथवा मिथ्या तथ्य के संज्ञान में आने पर प्रभावित पक्ष का हित सुरक्षित माना जाएगा आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार कुंडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश का अनुपालन राजस्व अभिलेखों में कराकर अंतर्गत 15 दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत करें आदेश की एक प्रति उपनिबंधक कुंडा प्रतापगढ़ को भेजी जाए अनुपालन कार्यवाही के उपरांत पत्रावली दाखिल हो।

उप जिलाधिकारी, कुंडा,

प्रतापगढ़